उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-10
संख्या- 1753/23-10-2014-17(सामान्य)/14
लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन तथा व्यय वित्त समिति की सदस्यता, कार्यक्षेत्र आदि में संशोधन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.14 द्वारा रू0 5.00 करोड़ तक की लागत के प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण विषयक शक्ति प्रशासकीय विभागों को प्रदान की गयी हैं अतः लोक निर्माण विभाग के रू0 5.00 करोड़ तक के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का परीक्षण अब विभाग के स्तर से किया जायेगा।

2- मार्ग/सेतु के संबंध में योजनाओं/परियोजनाओं पर व्यय के समस्त प्रस्ताव प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष तथा भवन के संबंध में प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0 के द्वारा अथवा उनके अनुमोदन से मुख्य अभियंता से अनिम्न अधिकारी द्वारा शासन को भेजे जायेगें। प्रस्ताव में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि संबंधित प्रमुख अभियंता का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

3- रू0 40.00 लाख से रू0 5.00 करोड़ तक व्यय के प्रस्ताव के औचित्य के परीक्षण हेतु प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा स्वतः स्पष्ट टिप्पणी प्रत्येक प्रस्ताव के साथ संलग्न चेक लिस्ट सं0-1अ, 1ब अथवा 1स, जो कमशः मार्ग, सेतु एवं भवन के लिये है, पर शासन को भेजी जायेगी। व्यय के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के पश्चात् उस पर टिप्पणी संलग्न चेक लिस्ट सं0-1क, 1ख अथवा 1ग, जो कमशः मार्ग सेतु एवं भवन के लिये है, पर शासन को प्रेषित की जायेगी। चेक लिस्ट पर प्रायोजना से संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता (मु0-1)/(सेतु)/(भवन), लो0नि0वि0 के हस्ताक्षर आवश्यक है।

4- शासन को भेजे जाने वाले व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन का कार्य संबंधित प्रमुख अभियंता अर्थात मार्ग/सेतु के लिये प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 एवं भवन के लिये प्रमुख अभियंता(ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। चूँकि रू0 25.00 करोड़ तक के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं उनके औचित्य के परीक्षण का कार्य प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति से हटाकर प्रशासकीय विभागों को दिया गया है अतः मार्गों के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं तथा सेतुओं के संबंध में प्रबंध निदेशक, सेतु निगम द्वारा प्रस्तावों का विशेष रूप से गहन परीक्षण करने के पश्चात् प्रस्ताव लो0नि0वि0 मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। इस कार्य को व्यवस्थित तरीक़े से विस्तृत रूप में सावधानी पूर्वक सम्पन्न किया जाना आवश्यक होगा।

5- प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0 से व्यय के प्रस्ताव के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट एवं औचित्य पर रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित अनुभागों द्वारा अन्य मामलों को व्यवहृत करने की निर्धारित प्रकिया के अनुसार नोटशीट पर इनके औचित्य का परीक्षण करते हुये प्रमुख सचिव के माध्यम से सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। संबंधित विशेष

क्रमशः.........

1753.jpg

सचिव एवं सचिव द्वारा पत्रावली पर प्रस्ताव के संबंध में यह स्पष्ट संस्तुति अंकित की जायेगी कि प्रश्नगत प्रस्ताव का मूल्यांकन सक्षम स्तर से हो गया है, इसका औचित्य स्थापित होता है तथा प्रस्ताव में कोई कमी हो तो इसको स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा।

6– रू0 40.00 लाख तक के व्यय के प्रस्तावों पर पूर्व से चली आ रही प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

7– व्यय वित्त समिति की सदस्यता, कार्य प्रकिया, कर्तव्य व कार्यक्षेत्र आदि के संबंध में वित्त आय–व्ययक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–2–84/दस–1996–10/77 टी0सी0. दि0 03 अप्रैल, 1996, जो समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को सम्बोधित तथा प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0 को पृष्ठांकित है, की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1753 (1)/23–10–14–तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग ।
3– प्रमुख अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग।
4– प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग।
5– मुख्य अभियन्ता (मु0–1/सेतु/भवन), लोक निर्माण विभाग।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/ वित्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग–3 ।
7– निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, लखनऊ।
8– तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, योजना भवन, लखनऊ।
9– लोक निर्माण सचिव शाखा के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग ।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जयराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

1753A.jpg

मार्ग निर्माण कार्यों से संबंधित चेक लिस्ट

(प्रपत्र– 1 अ)

1– परियोजना का नाम

2– परियोजना की आवश्यकता

3– उक्त परियोजना यदि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा/शासन की प्राथमिकता अथवा प्रतिबद्धता अथवा किसी विशिष्टि परिस्थिति से आच्छादित हो तो उसका विवरण–

4– परियोजना की लागत

5– अनुदान संख्या–

6– लेखाशीर्षक–

7– बजट प्राविधान–

8– बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष प्राविधान–

9– मार्गों के चौड़ीकरण में यदि मार्ग 7.00 मी0 चौड़ा किया जाना है तो मार्ग की पी0सी0यू0 10,000 से अधिक होनी चाहिये यदि मार्ग 04 लेन किया जाना है तो मार्ग की पी0सी0यू0 20000से अधिक होनी चाहिये। उक्तानुसार पी0सी0यू0 यदि नहीं है तो इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

10– क्या मार्ग का कार्य हेरिटेज जोन में कराया जाना प्रस्तावित है, यदि हां तो मार्ग का निर्माण किये जाने से पूर्व संबंधित विभागों का अनापत्ति एवं मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश एवं पर्यावरण विभाग की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– परियोजना को पूर्ण करने का लक्षित समय–

12– यदि भूमि की आवश्यकता हो तो–

(क) उसकी उपलब्धता–

(ख) उसका विवरण–

13– भारत सरकार/राज्य सरकार के विभागों एवं इनकी स्टेटुअरी बाडीज, विशेषकर वन, पर्यावरण आदि में से किस–किस की अनापत्ति आवश्यक है तथा क्या वह उपलब्ध है?

14– यूटीलिटी सर्विसेस के विस्थापन हेतु संबंधित विभागों के आगणन प्रश्नगत आगणन के साथ संलग्न है अथवा नहीं ।

15– दरें सक्षम अधिकारी (अधीक्षण अभियंता) से अनुमोदित हैं या नहीं।

16– यदि कार्य विशेष मरम्मत का है अथवा नवीनीकरण का है तो प्रस्तावित किलोमीटर पर पूर्व में यह कार्य कब हुआ था? यदि विशेष परिस्थिति हो तो इसका उल्लेख किया जाय।

17– सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या प्राविधान किये गये है?

मुख्य अभियन्ता (मु0–1),
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ

1753B.jpg